120 16 एमएसएमई के बिलों का त्वरित भुगतान

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समूह ने दिनांक 02.12.2008 को आयोजित अपनी बैठक में यह निश्चय किया है कि केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बिलों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए।

2. अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि शीर्ष समूह के उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों को उपयुक्त अनुदेश दें।

(डीपीई का.ज्ञा. सं.डीपीई/13(24)/08–वित्त, दिनांक : 11 दिसंबर 2008)

*****